



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:42244

इलाहाबाद उच्च न्यायालय पीठ लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4690/2026

शमीम उर्फ बुबनु

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.... विरोधी पक्षकार

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : कौशलेन्द्र के. त्रिपाठी, अमित कुमार शुक्ला

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता ,

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

यह जमानत याचिका याचिकाकर्ता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या- 132/2026 अंतर्गत धारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम , पुलिस स्टेशन कोतवाली देहात, जिला सुल्तानपुर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर झूठे तरीके से इस मामले में फंसाया गया है कि इसे पहले वह उन्हें सात मामलों में संलिप्त था। उन्होंने आगे बताया कि याचिकाकर्ता 6 मई 2026 से जेल में है और सह-आरोपी मोहम्मद रहमान उर्फ ताज को आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 3782/2026 में दिनांक 26 मई 2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तैयार है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि गवाह के बयान में याचिकाकर्ता की भूमिका पाई गई है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और जमानत आवेदन की सामग्री तथा अन्य प्रासंगिक सामग्री का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, लेकिन उसकी भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है। सह-आरोपी को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है।

जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक **शमीम उर्फ बुबनु** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनुरूप एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध न करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जिसका उस पर आरोप है या संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा।

इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता / 269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता / 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता /209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(vi) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप विरचित किए जाने के समय और (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता /351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

29 जून, 2026

मयंक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।